

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:प्रशिक्षण/कोर्ट केस/विविध/2019/ 250

दिनांक : 8/5/19

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
राजस्थान।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
राजस्थान।

समस्त प्रधानाचार्य  
राजकीय जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण केन्द्र  
राजस्थान।

विषय: कोर्ट आदेश से निर्धारित समयावधि से पूर्व जीएनएम प्रशिक्षण करने वाले कर्मचारियों की सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऐसे नियमित विभागीय कर्मचारी जिन्होंने माननीय न्यायालय के आदेश से निर्धारित नियमित समयावधि (5 वर्ष) पूर्व जीएनएम प्रशिक्षण प्राप्त किया है, की सूचना निम्नलिखित प्रपत्र में नियमानुसार 3 दिवस के अन्दर-अन्दर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को विशेष वाहक के साथ भिजवाना सुनिश्चित करें :-

क.सं.	प्रशिक्षणार्थी का नाम/ पिता का नाम	न्यायालय का नाम	न्यायालय आदेश दिनांक	प्रशिक्षण सत्र	न्यायालय आदेश की पालना से जारी आदेश क्रमांक दिनांक	विशेष विवरण
-------	---------------------------------------	-----------------	----------------------	----------------	----------------------------------------------------	-------------

( डॉ. संजय सक्सेना )  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित) मु. को उनकी अ.टि. क्रमांक नर्सिंग/वरि./वि.कर्म./ (एफ-197)/19/81 दिनांक 25.4.2019 के क्रम में लेख है कि वांछित सूचना सभी सम्बन्धित कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त की जा रही है, प्राप्त होते ही आपको भिजवादी जायेगी।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को सभी सम्बन्धित कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्रों को उनकी ई-मेल पर जारी करते हुए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर